

PAC द्वारा नियामक नकियाँ के प्रदर्शन की समीक्षा

[स्रोत: TH](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [लोक लेखा समिति \(PAC\)](#) ने [भारतीय प्रतभित एवं वनियमि बोरड \(SEBI\)](#) और [भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण \(TRAI\)](#) जैसी नियामक संस्थाओं के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिये स्वतः पहल की है।

PAC ने नियामक नकियाँ की समीक्षा क्यों शुरू की है?

- समीक्षा का उद्देश्य सार्वजनिक नधि के प्रभावी उपयोग को बढ़ाना तथा सरकारी नगिरानी में सुधार करना है।
- यह नरिणय SEBI प्रमुख के खलिाफ हतियों के टकराव के आरोपों को लेकर उठे राजनीतिक वविाद के बीच लथिा गया।
- पैनल ने स्वप्रेरणा से जाँच के लथिे 5 वषियों का चयन कथिा है, जनिमें "संसद के अधनियम द्वारा स्थापति नयिामक नकियाँ की कार्यनषिपादन समीक्षा" और "सार्वजनिक अवसंरचना एवं अन्य सार्वजनिक उपयोगतिाओं पर शुल्क, टैरफि, उपयोगकर्त्ता प्रभार आदि का अधरिापण और वनियमन" शामिल हैं।

लोक लेखा समिति (PAC) क्या है?

- परचिय:**
 - PAC भारत सरकार के राजस्व और व्यय की लेखापरीक्षा के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा गठति चयनति संसद सदस्यों की एक समतिि है।
 - संसदीय समतियिों को संवधिान के अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 के तहत अधिकार प्राप्त हैं। PAC तीन वत्तीय संसदीय समतियिों में से एक है, अन्य दो प्राक्कलन समतिि तथा सार्वजनिक उपक्रम समतिि हैं।
 - CAG समतििका कोई भी सदस्य सरकारी मंत्री के रूप में कसिी भी पद पर बना नहीं रह सकता।
- पृष्ठभूमि:**
 - PAC की शुरुआत 1921 में हुई थी, जसिका उल्लेख भारत सरकार अधनियम, 1919 में पहली बार कथिा गया था, जसिमोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है।
 - इसका गठन प्रत्येक वर्ष लोकसभा की प्रकरथिा तथा कार्य संचालन नयिमों के नयिम 308 के अंतर्गत कथिा जाता है।
- संरचना:** वर्तमान में इसमें 22 सदस्य होते हैं (लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नरिवाचति 15 सदस्य और राज्यसभा के सभापति द्वारा नरिवाचति 7 सदस्य) जनिका कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है।
 - समतिि के अध्यक्ष की नयुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है।
- शक्तियिाँ और कार्य:**
 - व्यय के लथिे सदन द्वारा दी गई नधियिों के वनियोजन और सरकार के वार्षिक वत्ति लेखों की जाँच करना।
 - सदन में प्रस्तुत अन्य लेखों की समीक्षा करना, जनिहें समतिि उचति समझे, सविय उन लेखों के जो सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधति हों तथा जनिहें सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समतिि को सौंपा गया हो।
 - समतिि राजस्व प्राप्तियिों, वभिन्नि मंत्रालयों/वभिागों द्वारा सरकारी व्यय तथा स्वायत्त नकियाँ के खातों पर वभिन्नि CAG लेखापरीक्षा रपौरटों की समीक्षा करती है।
 - जाँच के दौरान CAG समतिि की सहायता करता है।
- अनुशंसाएँ:**
 - PAC की सफिरशिं सलाहकारी हैं और सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं, कयोंकथिह एक कार्यकारी नकियाय है, जो आदेश जारी नहीं कर सकता है तथा केवल संसद ही समतिि के नषिकर्षों पर अंतिम नरिणय ले सकती है।

भारत में नियामक नकियाय क्या है?

- परचिय:**

- ये एजेंसियाँ **प्रत्यक्ष कार्यकारी पर्यवेक्षण के साथ या उसके बिना कार्य कर सकती हैं।**
 - नयामक निकाय **स्वतंत्र सरकारी संस्थाएँ हैं, जो वशिष्ट गतविधि या संचालन के कषेत्रों में मानक नरिधारति करने और लागू करने के लयि स्थापति की जाती हैं।**
- **कार्य:**
 - वनियम और दशानरिदेश बनाना
 - गतविधियों की समीक्षा और मूल्यांकन
 - लाइसेंस जारी करना
 - नरीक्षण करना
 - सुधारात्मक कार्रवाइयों का कार्यान्वयन
 - मानकों को लागू करना
- **उदाहरण:**
 - **भारतीय प्रतभूति एवं वनियम बोर्ड (SEBI)**
 - **स्थापना:** 1992
 - **मुख्यालय:** मुंबई
 - **भूमिका:** प्रतभूति बाजारों को वनियमति करना, नविशकों की सुरक्षा करना और बाजार की अखंडता सुनश्चिति करना।
 - **संरचना:** अध्यक्ष, पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्यों सहति बोर्ड। अपीलों का नपिटारा प्रतभूति अपीलीय न्यायाधकिरण (SAT) द्वारा कयिा जाता है, जसिके बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है।
 - **कार्य:** वनियमों का मसौदा तैयार करना, जाँच करना, जुरमाना लगाना, वदिशी उद्यम पूंजी कोष, म्यूचुअल फंड तथा धोखाधड़ी की प्रथाओं को संबोधति करना।
 - **भारतीय दूरसंचार नयामक प्राधकिरण (TRAI)**
 - **स्थापना:** 1997
 - **मुख्यालय:** नई दलिली
 - **भूमिका:** दूरसंचार सेवाओं को वनियमति करना, टैरफि संशोधति करना, सेवा की गुणवत्ता सुनश्चिति करना और दूरसंचार नीति पर सरकार को सलाह देना।
 - **संरचना:** अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक और दो अंशकालिक सदस्य।
 - **अपीलीय प्राधकिरण:** दूरसंचार वविाद नपिटान और अपीलीय न्यायाधकिरण (TDSAT) की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी, जो TRAI के नरिणयों से संबंधति वविादों तथा अपीलों को संभालता है।
- **अन्य नयामक निकाय:** [भारतीय रजिर्व बैंक \(RBI\)](#), [राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण वकिस बैंक \(NABARD\)](#), [भारतीय लघु उद्योग वकिस बैंक \(SIDBI\)](#), [भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधकिरण \(FSSAI\)](#), [केंद्रीय औषध मानक नरिंतरण संगठन \(CDSCO\)](#) और [भारतीय प्रतसिपरद्धा आयोग \(CCI\)](#)।

और पढ़ें: [भारतीय प्रतभूति और वनियम बोर्ड, भारतीय दूरसंचार नयामक प्राधकिरण नरिसन वनियम, 2023](#)

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा/से भारत सरकार का/के “डजिटिल इंडिया” योजना का/के उद्देश्य है/हैं? (2018)

1. भारत की अपनी इंटरनेट कंपनयियों का गठन, जैसा क चीन ने कयिा।
2. एक नीतगित ढाँचे की स्थापना जसिसे बड़े आँकड़े एकत्र करने वाली समुद्रपारीय बहु-राष्ट्रीय कंपनयियों को प्रोत्साहति कयिा जा सके कविे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अन्दर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें।
3. हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से वदियालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाई-फाई (Wi-Fi) लाना।

नीचे दयिे गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयिे:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न. पंजीकृत वदिशी पोर्टफोलियो नविशकों द्वारा उन वदिशी नविशकों को, जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हसिसा चाहते हैं, नमिनलखिति में से कयिा जारी कयिा जाता है? (2019)

- (a) जमा प्रमाण-पत्र
- (b) वाणजियक पत्र
- (c) वचन-पत्र (प्रॉमिसरी नोट)
- (d) सहभागिता पत्र (पार्टसिपिटरी नोट)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/pac-to-review-regulatory-bodies-performance>

